न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 50 /2019 तारीख रजू:– 07.06.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. रूपनारायण सिंह पुत्र रामकुंवार सिंह जाति दरोगा निवासी भूडा तहसील टोडाभीम।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर करौली।

अप्रार्थी

उपस्थिति :–1. श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादी)

दावा वावत इस्तकरारहक राज0 टि0एक्ट व धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक:– 19.11.2019

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भूडा स्थित आराजी ख0न0 195/0.01, 196/0.60, 200/0.82, 201/0.01, 202/0.08, 203/0.20, 204/0.43, 205/0.27, 206/0.35, 207/0.43, 208/0.34 कुल किता 11 कुल रकवा 3.54 है0 मे उक्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक ख0न0 21/1/3 रकवा 16 बीघा था जो जमाबन्दी सम्वत 2036–2039 मे प्रार्थी के पिता रामकुंवार पुत्र गोविन्दराम के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के पिता रामकुंवार की मृत्यु हो जाने के पश्चात साबिक ख0न0 21/1/3 रकवा 16 बीघा का नामांतकरण स0 293 प्रार्थी के पिता के वारिसान के माम विरासत के आधा रपर खोला गया। जिसमे प्रार्थी का नाम रूपनारायण सिंह के स्थान पर बोलता नाम रूपसिंह दर्ज कर दिया गया। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2036–2039 मे दर्ज है जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम रूपनारायण सिंह दर्ज है। तथा इसी प्रकार प्रार्थी के पैशन कागजात, सहकार किसान कार्ड, बैक पासबुक, राशनकार्ड, पैनकार्ड निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र भामाशाह कार्ड, इत्यादि मे प्रार्थी का नाम रूपनारायण सिंह दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त करना न्याय संगत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 4.6.19 को आराजी पर के.सी.सी लेने के लिये हाल जमाबन्दी निकलवायी तब जाकर मालूम चला कि हाल जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम रूपनारायण सिंह के स्थान पर रूपसिंह दर्ज हो गया तो प्रार्थी ने अप्रार्थी न0 1 तहसीलदार टोडाभीम द्वारा सक्षम न्यायालय मे इन्द्राज दुरूस्ती का दावा करने को कहा। जिस कारण प्रार्थी को इन्द्राज दुरूस्ती बावत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि समस्त राजस्व रिकार्ड एवं हाल जमाबन्दी स्थित ग्राम भूडा मे प्रार्थी का नाम रूपसिंह आया है के स्थान पर

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

रूपनारायणसिंह दर्ज किया जावे और समस्त राजस्व रिकार्ड मे रूपसिंह के स्थान पर रूपनारायण सिंह पुत्र रामकुंवार दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित हुये, तथा जबाब प्रस्तुत किया कि विरासत के नामांतकरण स. 293 से रूपसिंह दर्ज किया गया है। नामांतकरण की अपील करनी चाहिये।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया ओर कथन किया कि वादी का सही नाम रूपनारायणसिंह है, रूप सिंह तो बोलता नाम था उसके आधार पर तत्समय विरासत का नामांतकरण तस्दीक कर दिया है। दस्तावेज प्रस्तुत किये है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम रूपनारायणसिंह दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो प्रधानाध्यापक गवर्नमेन्ट हाई स्कूल टोडाभीम के प्रमाण पत्र दिनांक 23.6.92 मे रूपनारायण दर्ज है। सहायक लेखाधिकारी पैशन एव वेलफेयर राजस्थान द्वारा जारी पी.पी.ओ. न0 754461(R) मे भी रूपनारायणसिंह अंकित है, सहकारी किसान कार्ड संख्या 30015105740011245, स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा टोडाभीम से जारी पासबुक के खाता सख्या 51072830824, परिवार राशनकार्ड संख्या 00130, आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड न0 IKWP1346K, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र कमांक SJP/0185702, आधार कार्ड संख्या 586308765626, मे रूपनारायणसिंह दर्ज है। ग्राम भूडा की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 190 मे विशेष विवरण मे अंकित नामांतकरण संख्या 397 दिनांक 18.5.2017 विभाजन से ख0न0 195, 196, 204 कुल रकवा 0.73 है0 मे रूपसिंह पुत्र रामकुवांर दर्ज हुये है। एवं जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 209 मे रूपसिंह पुत्र रामकुवांर ही दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम भूडा की आराजीयात ख0न0 195, 196, 204 कुल रकवा 0.73 है0 मे रूपसिंह पुत्र रामकुंवार जाति दरोगा के स्थान पर रूपनारायणसिंह पुत्र रामकुवांर जाति दरोगा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु तहरीर के साथ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/11/19
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड कलक्टर टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 16:08:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: